

पत्रांक-योजना बजट-291/2025-6002/पं०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-⁹/11/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के तहत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 अन्तर्गत कन्ट्रोल रूम (उपकरण सहित) स्थापना हेतु कुल 2,92,85,554/- (दो करोड़ बानवे लाख पचासी हजार पाँच सौ चौवन रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,14,40,470/- (दो करोड़ चौदह लाख चालीस हजार चार सौ सत्तर रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के तहत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 अन्तर्गत कन्ट्रोल रूम (उपकरण सहित) स्थापना हेतु कुल 2,92,85,554/- (दो करोड़ बानवे लाख पचासी हजार पाँच सौ चौवन रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,14,40,470/- (दो करोड़ चौदह लाख चालीस हजार चार सौ सत्तर रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पत्रांक-724, दिनांक-17.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110-वन्य जीव परिरक्षण, उपशीर्ष 0121-वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास, विपत्र कोड-19-2406021100121 के विषय शीर्ष-0121.02.01-मजदूरी, 0121.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ तथा 0121.27.01-लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकी व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-02, बेतिया होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।


4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।


7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-12 में वर्णित प्रावधान के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
 8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
 9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
 10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
 11. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
 12. संचिका संख्या-291/2025 के पृष्ठ-02/टि० पर दिनांक-18.11.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-18.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-18.11.2025 को प्रधान सचिव की स्वीकृति एवं पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-19.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-291/2025-6002/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-19/11/2025
प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-291/2025-6002/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-19/11/2025
प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

उच्चस्तरीय तकनीकी प्राक्कलन जाँच समिति का प्रतिवेदन
बैठक कि तिथि

योजना क्रमांक : S.N- 20

1	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/पटना/ मुजफ्फरपुर/भागलपुर/ निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना।	पत्रांक- 1629	दिनांक- 10.11.2025
2	परिक्षेत्र का नाम	निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	
3	प्रस्तावित योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक राज्य योजना अंतर्गत कन्ट्रोल रूम का कार्य प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।	
4	वन प्रमंडल का नाम	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-2, बेतिया।	
5	प्राक्कलनों की संख्या	04	
6	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक राज्य योजना अंतर्गत कन्ट्रोल रूम का कार्य प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में। 1. Construction of Proposed Control Room 2. Software & Hardware System (for 1st Year) 3. Next Year maintenance of Software (for 2nd & 3rd Year) 4. New Control Room Setup, Maintenance & Manpower	
7	वित्तीय लक्ष्य	रु. 2,92,85,554 /-	
8	तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी :-	निदेशक, पारि०/वन संरक्षक सह-क्षेत्र-निदेशक/वन प्रमंडल पदा.	
9	कार्य स्थल (अधिसूचित वन / आश्रयणी/ राष्ट्रीय उद्यान, गैर वन भूमि) का प्रकार	वन भूमि	
10	गैर वन भूमि के मामले में भूमि के स्थानंतरण की स्थिति	-	
11	वन संरक्षण/वन्य प्राणी अधिनियम लागू होने संबंधी सभी स्तरों से हस्ताक्षरित चेक लिस्ट (पत्रांक 95 दि० 19.01.23 अनुसार) संलग्न की स्थिति	संलग्न संलग्न नहीं लागू नहीं	-
12	विचाराधीन योजना पर वन संरक्षण /वन प्राणी अधिनियम लागू होने संबंध में समिति का मंतव्य	लागू नहीं	
13	योजना प्राक्कलन का आधार		-
	(i) विभागीय SoR	हाँ/ नहीं	-
	(ii) BCD SoR	हाँ/ नहीं	हाँ
	(iii) WRD SoR	हाँ/ नहीं	-
	(iv) बाजार दर	हाँ/ नहीं	-
	(v) RCCF / DEE द्वारा निर्धारित दर	हाँ/ नहीं	-
	(vi) अन्य विभाग का SoR, उल्लेख करें		-
14	बाजार दर अथवा RCCF / DEE द्वारा निर्धारित दर से संबंधी अभिलेख संलग्न की स्थिति	संलग्न संलग्न नहीं	संलग्न हैं।
15	BCD / WRD एवं अन्य विभाग की स्थिति में निम्न	लागू नहीं	
	(i) क्या 13.043% contractor profit कटौती की गई है ?	हाँ/ नहीं	-
	(ii) क्या मजदूरी की राशि पर 0.1405 गुणक में GST कटौती की गई है ?	हाँ/ नहीं	-
	(iii) क्या मजदूरी दर में बढोतरी की गई है ? यदि हाँ, तो श्रेणीवार मजदूरों की गणना (BoQ) के आधार पर मजदूरी बढ़ायी गई है ?	हाँ/ नहीं	-
	(iv) क्या सामग्री दर में बढोतरी की गई है ? यदि हाँ तो क्या संलग्न किया गया है ?	हाँ/ नहीं	-

	ता उपर क्या जापर संलग्न किया गया है ?	हाँ / नहीं	
	(v) carriage cost की गणना से समिति संतुष्ट है अथवा नहीं	हाँ / नहीं	-
16	पत्रांक 376/विकास दिनांक 10-04-23 के अनुपालन कि स्थिति -		-
	(i) वृक्षारोपण / मृदा और नमी संरक्षण / गारलैंड ट्रेंच की योजनाओं के मामले में संबंधित कंडिका - 6/7/8 के अनुरूप मानचित्र संलग्न है अथवा नहीं	हाँ / नहीं	-
	(ii) वृक्षारोपण / मृदा और नमी संरक्षण / गारलैंड ट्रेंच की योजनाओं के मामले में संबंधित कंडिका - 6/7/8 के बिन्दुओं का पालन किया गया है एवं आवश्यक प्रमाणपत्र अंकित है अथवा नहीं	हाँ / नहीं	-
	(iii) विभागीय पौधशाला के मामले में कंडिका - 9 के बिन्दुओं का पालन किया गया है अथवा नहीं	हाँ / नहीं	-
17	भवन निर्माण कि योजना होने कि स्थिति में :		-
	भवन का क्षेत्रफल :-		
	कुल प्राक्कलित राशि		
	लागत प्रति वर्ग फिट :-		-
18	चहारदीवारी निर्माण कि योजना होने कि स्थिति में :		-
	चहारदीवारी की लम्बाई :-		-
	कुल प्राक्कलित राशि		
	लागत प्रति रनिंग फिट :-		-
19	अन्य कोई महत्वपूर्ण अभियुक्ति / मंतव्य		
20	उच्चस्तरीय समिति की योजना स्वीकृति के संबंध में अनुशंसा		
	योजना प्राक्कलन अनुशंसित।		

(रमेश कुमार सिन्हा)
उप वन संरक्षक
सदस्य सचिव,
तकनीकी प्राक्कलन जाँच समिति।

(एस० चन्द्रशेखर)
सदस्य,
तकनीकी प्राक्कलन जाँच
समिति-सह-मुख्य वन
संरक्षक, आई०टी० बिहार,
पटना।

(अभय कुमार)
अध्यक्ष
तकनीकी प्राक्कलन जाँच
समिति-सह-
APCCF, जलवायु
परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि,
बिहार पटना।

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-02, बेतिया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 से वर्ष 2027-28 तक राज्य योजना अन्तर्गत कन्ट्रोल रूम निर्माण का प्रस्ताव।

VALMIKI TIGER RESERVE BIHAR

SUMMARY SHEET Forest Integrated Forest Control Room

Sr No.	Items	2025-2026	2026-2027	2027-2028	Grand Total
1	Control room Building, Bettiah	6440310	0	0	6440310
2	Software & Hardware System (for 1 st year)	15000160	0	0	15000160
3	Next year maintenance of Software (for 2 nd and 3 rd year)	0	2250024	2250024	4500048
4	New control Room Setup, Maintenance & Manpower	0	3000032	345004	3345036
	Grand Total	21440470	5250056	2595028	29285554

वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृति कुल रु० 29285554/- (रुपये दो करोड बानवे लाख पचासी हजार पांच सौ चौवन रु. मात्र)

समर्पित :-

Arum Ansan

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
मदनपुर वन प्रक्षेत्र

समर्पित :-

रु० 29285554/- (रुपये दो करोड बानवे लाख पचासी हजार पांच सौ चौवन रु. मात्र)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल -02, बेतिया।

Countersigned for
समर्पित :-

रु० 29285554/- (रुपये दो करोड बानवे लाख पचासी हजार पांच सौ चौवन रु. मात्र)

U. K. Singh

वन संरक्षक -सह- क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

T.S. Granted for Rs. 2,92,85,554/- Only.

Director

Ecology & Environment, Patna